फार्म—ए0

न्यायालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि—28.04.2026
सत्र—वाद संख्या—358 / 2024
सी0आई0एस0 संख्या—358 / 2024
(धरहरा थाना कांड संख्या—214 / 2022)

उपस्थित :— **आलोक गुप्ता**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।

परिवादी / सूचक	**बालमिकी महतो, पिता**—स्व0 फुदन महतो, साकिन—शिवकुंड, थाना—धरहरा (हेमजापुर ओ0पी0), जिला—मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्री संतोष मिश्र (2)
अभियुक्त	**1. ओम प्रकाश महतो,** पिता—स्व0 राम दुलार महतो, साकिन—शिवकुंड, थाना—हेमजापुर (धरहरा), जिला—मुंगेर। **2. विशाल कुमार,** पिता—ओम प्रकाश महतो, साकिन—शिवकुंड, थाना—हेमजापुर (धरहरा), जिला—मुंगेर। **3. अनुराग कुमार उर्फ रविश,** पिता—ओम प्रकाश महतो, साकिन—शिवकुंड, थाना—हेमजापुर (धरहरा), जिला—मुंगेर। **4. संजो देवी,** पिता—ओम प्रकाश महतो, साकिन—शिवकुंड, थाना—हेमजापुर (धरहरा), जिला—मुंगेर। **5. सोनी कुमारी,** पति—महाराज कुमार, साकिन—शिवकुंड, थाना—हेमजापुर (धरहरा), जिला—मुंगेर। **6. करिशमा कुमारी,** पति—सुशांत राज, साकिन—शिवकुंड, थाना—हेमजापुर (धरहरा), जिला—मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता—श्री रजनीकांत झा।
घटना की तिथि	06.11.2022
प्राथमिकी की तिथि	11.11.2022
आरोप पत्र की तिथि	31.12.2022
आरोप गठन की तिथि	22.05.2025
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	15.06.2025
निर्णय हेतु निश्चित करने की तिथि	28.04.2026
निर्णय की तिथि	28.04.2026
सजा आदेश की तिथि	

न्यायालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि–28.04.2026
सत्र–वाद संख्या–358/2024
सी0आई0एस0 संख्या–358/2024
(धरहरा थाना कांड संख्या–214/2022)

अभियुक्तगण का विवरण:-

Name of the Accused persons	Date of Arrest/ Surrender	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
ओम प्रकाश महतो	22.12.2022	22.12.2022	धारा–307/149, 323/149, 341/149, 147/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0	अभियुक्त को रिहा किया गया		
विशाल कुमार	22.12.2022	22.12.2022	धारा–307/149, 323/149, 341/149, 147/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0	अभियुक्त को रिहा किया गया		
अनुराग कुमार उर्फ रविश	22.12.2022	22.12.2022	धारा–307/149, 323/149, 341/149, 147/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0	अभियुक्त को रिहा किया गया		
संजो देवी	22.12.2022	22.12.2022	धारा–307/149, 323/149, 341/149, 147/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0	अभियुक्त को रिहा किया गया		
सोनी कुमारी	22.12.2022	22.12.2022	धारा–307/149, 323/149, 341/149, 147/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0	अभियुक्त को रिहा किया गया		
करिशमा कुमारी	22.12.2022	22.12.2022	धारा–307/149, 323/149, 341/149, 147/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0	अभियुक्त को रिहा किया गया		

न्यायालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि—28.04.2026
सत्र—वाद संख्या—358 / 2024
सी0आई0एस0 संख्या—358 / 2024
(धरहरा थाना कांड संख्या—214 / 2022)

ए0.—<u>अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल छः साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है</u>ः—

क0 स0	अभियोजन साक्षी क्रम0 स0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
01.	अभियोजन साक्षी संख्या—01	बालमिकी महतो	सूचक साक्षी
02.	अभियोजन साक्षी संख्या—02	मीरा देवी	पक्षद्रोही
03.	अभियोजन साक्षी संख्या—03	डा0 मोहम्मद फैज उद्दीन	चिकित्सक साक्षी
04.	अभियोजन साक्षी संख्या—04	विपिन कुमार	साक्षी
05.	अभियोजन साक्षी संख्या—05	प्रहलाद सिंह	साक्षी
06.	अभियोजन साक्षी संख्या—06	मुकेश सिंह	साक्षी

बी.—बचाव पक्ष की ओर से साक्षी, यदि हों—

क0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
01.		

सी.—न्यायालय साक्षी, यदि हों—

क0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
	—	

<u>अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्शों की सुचि</u>ः—

<u>ए0—अभियोजनः—</u>

क0 सं0	प्रदर्श	विवरण
01.	प्रदर्श—पी0—01 / पी0डब्लयू0—01	लिखित आवेदन पर सूचक साक्षी बालमिकी का हस्ताक्षर
02.	प्रदर्श—पी0—02 / पी0डब्लयू0—03	मुकेश सिंह का इंजुरी रिपोर्ट
03.	प्रदर्श—पी0—03 / पी0डब्लयू0—03	मुकेश सिंह का पुरक इंजुरी रिपोर्ट
04.	प्रदर्श—पी0—04 / पी0डब्लयू0—03	विटेश्वर कुमार का इंजुरी रिपोर्ट

05.	प्रदर्श—पी0—05 / पी0डब्लयू0—03	विटेश्वर कुमार का पुरक इंजुरी रिपोर्ट
06.	प्रदर्श—पी0—06	आरोप—पत्र
07.	प्रदर्श—पी0—07	औपचारिक प्राथमिकी

बी0—बचाव पक्षः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श—ए0	समझौता आवेदन

सी0—न्यायालयः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	—	

डी0—वस्तु प्रदर्शः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	—	

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद के छः अभियुक्तगण 1. **ओम प्रकाश महतो, 2. विशाल कुमार, 3. अनुराग कुमार उर्फ रविश, 4. संजो देवी, 5. सोनी कुमारी और 6. करिशमा कुमारी** का सत्र विचारण, उनके विरूद्व अधिरोपित सारभूत आरोपों अंतर्गत **धारा**—307 / 149, 323 / 149, 341 / 149, 147 / 149, 504 / 149, 506 / 149 भा0द0वि0 **दर्ज** किया गया है।

2. सूचक **बालमिकी महतो, पिता**—स्व0 फुदन महतो, साकिन—शिवकुंड, थाना—धरहरा (हेमजापुर ओ0पी0), जिला—मुंगेर का लिखित आवेदन इस प्रकार हैः—

दिनांक 06.11.2022 समय करीब 4 बजे मेरे भाई मुकेश सिंह खती—बाड़ी देखने जा रहे थे तो विशाल कुमार ने रास्ते में पानी टंकी क पास रोककर गाली—गलौज करने लगा, जब मरा भाई गाली—गलौज का विरोध किया तो ओम प्रकाश महतो ने अपने पुत्र विशाल कुमार, अनुराग कुमार और पत्नी संजो देवी और पुत्री सोनी उर्फ रविश, करिशमा कुमारी को लाठी—डंडा लेकर बुलाया और बोला कि इसे जान से मार दो। इतने में विशाल कुमार अपने हाथ में लोहे का रड लेकर आया और मेरे भाई मुकेश के सिर पर मारा तो सर फट गया, खून बहने लगा तो मेरा भाई जोर से चिल्लाने लगा। मारपीट का हल्ला सुनकर दोड़कर बिटेशवर गया तो उसे भी सभी ने पटक

कर/गिराकर सीना पर चढ़ गया, गला काफी समय तक दबाय रखा एवं लाठी डंडे से हाथ और पैर में मारकर जख्मी कर दिया। मेरा भतीजा भी बचाने गया तो उसको भी मारन लगा। सभी ने मिलकर मेरे भाई मुकेश और विटेश्वर को मारपीट कर जख्मी कर दिया ओर जाते समय बोला केस करेगा तो जान से मार देंगें। तब हम लोग दोनों भाई को मुंगेर अस्पताल ईलाज कराने ले गये जहॉ मेरे भाई का ईलाज हुआ है।

3. उपरोक्त घटना के संदर्भ में सूचक द्वारा अपना लिखित आवेदन धरहरा थना, हेमजापुर, ओ0पी0 को दिया। हेमजापुर ओ0पी0 के अग्रसारण के उपरांत **धरहरा थाना कांड संख्या—214/2022 दिनांक—11.11.2022,** अन्तर्गत **धारा—147, 149, 341, 323, 307, 504, 506 भा0द0वि0** के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ।

4. अनुसंधान पुर्ण होने के पश्चात् संबंधित अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण **1. ओम प्रकाश महतो, 2. विशाल कुमार, 3. अनुराग कुमार उर्फ रविश, 4. संजो देवी, 5. सोनी कुमारी और 6. करिशमा कुमारी** के विरूद्व **आरोप पत्र संख्या—281/22 दिनांक 31.12.2022 धारा अंतर्गत—147, 149, 341, 323, 307, 504, 506 भा0द0वि0** समर्पित किया गया तथा **दिनांक 24.03.2023** को 1. **उक्त अभियुक्तगण** के विरूद्व **धारा— 147, 149, 341, 323, 307, 504, 506 भा0द0वि0** के अंतर्गत **संज्ञान** लिया गया तथा दिनांक **19.11.2024** को **दौरा सुपुर्दगी** किया गया और सत्र न्यायालय में प्राप्त हुआ।

5. दौरा सुपुर्दगी के पश्चात् प्रस्तुत कांड का अभिलेख सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ जहॉ पर इसे **सत्र विचारण 358/2024** के रूप में **पंजीकृत** किया गया और प्रस्तुत कांड के अभियुक्तगण **1. ओम प्रकाश महतो, 2. विशाल कुमार, 3. अनुराग कुमार उर्फ रविश, 4. संजो देवी, 5. सोनी कुमारी और 6. करिशमा कुमारी** के विरूद्व **आरोप गठन** हेतु सुनिश्चित किया गया। उक्त अभियुक्त्गण के विरूद्व **धारा—307/34, 323/34, 341/34, 147/149, 504/149 भा0द0वि0** में आरोप गठन दिनांक **22.05.2025** को किया गया और उसे हिन्दी में अनुवाद कर अभियुक्तगण को सुनाया एवं समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने उक्त आशय के अपराध कारित किये जाने का विरोध किया तथा न्यायालय के समक्ष विचारण का दावा प्रस्तुत किया।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अभियुक्तगण **1. ओम प्रकाश महतो, 2. विशाल कुमार, 3. अनुराग कुमार उर्फ रविश, 4. संजो देवी, 5. सोनी कुमारी और 6. करिशमा कुमारी** का बयान दिनांक—अन्तर्गत **धारा—313 अन्तर्गत**

दं0प्र0सं0 दिनांक—28.04.2026 को लेखवद्व किया गया, जिसमें उक्त अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

7. न्यायालय के समक्ष, मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि ''क्या अभियोजन पक्ष, अपने द्वारा लाये गये उक्त आरोपों को, उपरोक्त अभियुक्तगण 1. ओम प्रकाश महतो, 2. विशाल कुमार, 3. अनुराग कुमार उर्फ रविश, 4. संजो देवी, 5. सोनी कुमारी और 6. करिशमा कुमारी के विरूद्व, युक्तियुक्त सभी शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया सफल हो सके, अथवा, नहीं?''

मन्तव्य

अभियोजन साक्ष्यः—

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में कुल छः साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है :—

अभियोजन साक्षीः—

क0 स0	अभियोजन साक्षी कम0 स0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
01.	अभियोजन साक्षी संख्या—01	बालमिकी महतो	सूचक साक्षी
02.	अभियोजन साक्षी संख्या—02	मीरा देवी	पक्षद्रोही
03.	अभियोजन साक्षी संख्या—03	डा0 मोहम्मद फैज उद्दीन	चिकित्सक साक्षी
04.	अभियोजन साक्षी संख्या—04	विपिन कुमार	साक्षी
05.	अभियोजन साक्षी संख्या—05	प्रहलाद सिंह	साक्षी
06.	अभियोजन साक्षी संख्या—06	मुकेश सिंह	साक्षी

8. **अभियोजन साक्षी संख्या—01,** बालमिकी महतो, जो प्रस्तुत कांड के साक्षी हैं ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं प्रस्तुत कांड का सूचक हुॅ। यह मुकदमा मैंने ही किया है। मुकेश सिंह मेरा भाई है। लिखित आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श—पी0—01/पी0डब्लयू0701 अंकित किया जाता है। घटना 2022 की है। उस समय शाम के सात बजे का समय था। घटना के समय मेरा भाई खेत देखने के लिये जा रहा था। रास्ते में मेरे भाई को विशाल और ओमप्रकाश महतो मिला, संजो देवी, सोनी उर्फ रशमी, करिशमा कुमारी ने रोका और बाता—बाती हो गई और कुछ नहीं हुआ। ऐसी

बात नहीं है कि मेरे भाई मुकेश को विशाल कुमार अपने हाथ में लोहे का रड लेकर आया और मुकेश के सिर पर मारा जिससे सिर फट गया, मेरा भाई विटेश्वर गया तो उसे भी पटक कर सभी लोग सीने पर चढ़ गया, गला काफी समय तक दबाये रखा एवं लाठी—डंडा से हाथ और पैर पर मारकर जख्मी कर दिया। मुकेश और विटेश्वर का ईलाज सदर अस्पताल, मुंगेर में हुआ। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानता हुं।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ओमप्रकाश महतो ने भी मेरे खिलाफ केस किया है उसमें भी उभयपक्षों ने सुलह कर लिया है। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत मुकदमा में भी सुलह—नामा दाखिल किया गया है इस पर मेरा, मुकेश और वटेश्वर का हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूॅ साक्षी की पहचान पर संपुर्ण सुलहनामा को **प्रदर्श—ए0** अंकित किया जाता है।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या—02, मीरा देवी, अभियोजन साक्षी संख्या—04 विपिन कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या—05, प्रहलाद सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हुं। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ है और अभियोजन साक्षी संख्या—06 मुकेश सिंह ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि** घटना दिनांक 06.11.2022 की है। घटना के समय चार बजे शाम का था। मैं घटना के समय खेत जा रहा था। पानी टंकी के पास विशाल, ओमप्रकाश, अनुराग, संजो देवी, करिश्मा, सोनी उर्फ रेशमा थी। उक्त लोग मुझे रोके और बाता—बाती हुई और मुझ से कुछ नहीं हुआ। मैं घटना के बारे में और कुछ नहीं जानता हुं।

उक्त अभियोजन साक्ष्यिों को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। उक्त साक्ष्यिों ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्तगण के मेल में आकर सही तथ्य छिपा लिया हुं और झुठी गवाही दिया हुं।

उक्त साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या—02 मीरा देवी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्तगण मेरे गॉव के हैं इसलिये पहचानता हुं। उभय पक्ष में सुलह हो गया है अब कोई दिक्कत नहीं है। यदि मुकदमा को खत्म कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है एवं अन्य साक्षियों ने कहा है कि जो गवाही दी है स्वेच्छा से दिया है। अभियोजन साक्षी संख्या 06 मुकेश सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि प्रस्तुत वाद का पलटा—वाद भी था जिसमें सुलह हो गया और लोक अदालत, मुंगेर में निष्पादन हो चुका है। प्रस्तुत वाद में भी उभय—पक्ष में सुलह हो गया

है। यह कहना सही है कि मुझे गिरने से चोट लग गई थी। मुकदमा खत्म कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज न्यायालय में स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के गवाही दिया हुँ।

10. अभियोजन साक्षी संख्या—03, डा0 मोहम्मद फैज उद्दीन जो प्रस्तुत कांड के चिकित्सक साक्षी हैं ने अपने मुख्य परीक्षण में निम्नवत कहा है कि " On dated 06-11-2022, I was posted at Sadar Hospital, Munger as a Medical Officer. On that day I examined Mukesh Singh aged about 40 Years, Male, S/O- Late Phudan Mahto, Shivkund, P.S.Dharhara, Dist-Munger on 06-11-2022 at 07:00 P.M. Vide emergency Registratio No. 50599 and found following injuries:

(i) Swelling and tenderness mid forehead of size 1 Inch X 1 Inch.

Advice- X-ray of skull A.P. And lateral.

C.T.Scan of brain.

(ii) Swelling and tenderness left leg of size 1/2 Inch X 1/2 Inch. X-ray left leg A.P. and lateral.

M/I- Black till right side of abdomen.

Time of injury- Within six hours.

Opinion- Reserve, for want of C.T. Scan of brain report and X-ray report, caused by hand and blunt substance.

This computerized injury report has been prepared by me bears my signature. Entire injury report is marked as Exhibit-P-02/P.W.03.

Supplementary injury report of Mukesh Singh aged about 40 Years, Male, S/O- Late Phudan Mahto, Shivkund, P.S.Dharhara, Dist- Munger on 06.11.2022 at 07:00 P.M. Vide emergency registration No. 50599.

X-ray skull A.P. and lateral, X-ray of left leg A.P. and lateral- Shows no bony injury visualised as per reported by Dr. Niranjan Kumar, M.O., Sadar Hospital,Munger vide symbol-67 dated 07-11-2022.

C.T.Scan of brain- shows as per reported by Kalpana C.T. Scan Center Sadar Hospital, Munger dated 07-12-2022, No significant abnormality is seen in the brain.

Opinion- Simple in nature.

This Computerized supplimentary injury report has been prepared by me bears my signature. Entire injury report is marked as Exhibit-P-03/P.W.03.

On that same day Examined Biteshwar Kumar, aged about 27 Years, Male, S.O- Late Phudan Mahto, Shivkund, P.S. Dhardhara, Dist- Munger, 06.11.2022 at 07:15 P.M. vide emergency registration No. 50588 and found following injuries:

(i) Swelling and tenderness right thigh of size 2 Inch X 2 Inch.

Advice- X-ra right thigh bone A.P. and lateral.

(ii) Swelling and tenderness right elbow joint 1 Inch X 1 Inch. X-ray right elbow joint A.P. and lateral.

(iii) Swealling and tenderness upper lip of size 1/2 Inch X 1/2 Inch.

M/I- Black till mid chest.

T.I.- Within 06 hours.

Opinion- Injury No. (iii) is simple in nature, caused by hard and blunt substance.

Injury No. (I) and (ii) reserve, want of X-ray report, caused by hard and blunt subtances.

This computerized injury report has been prepared b me bears my signatue. Entire injury report is marked as Exhibit- P-04/P.W.03.

Supplementary injury report of Biteshwar Kumar, aged about 27 Years, Male, S/O- Late Phudan Mahto, Shivkund, P.S. Dharhara, Dist- Munger, 06.11.2022 at 07:15 P.M. vide emergency registration No. 50588.

X-ray right thigh bone AP and lateral.

X-ray right elbow joint AP and lateral.

Shows no bony injury visualised as per reported by Dr. Nirangan Kumar, M.O., Sadar Hospital, Munger Vide symbol 66 dated 07-11-2022.

Opinion- Injury No. (I) and (ii) simple in nature.

This computerized Supplementary injury report has been prepared by me bears my signatue. Entire injury report is marked as Exhibit-P-05/P.W.03.

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जख्मी मुकेश और विटेश्वर को जो जख्म हुअ है उक्त प्रकार का जख्म जमीन पर और किसी ठोस पदार्थ पर गिरने से भी हो सकता है। यह कहना सही है कि उक्त दोनों जख्मियों के जख्म को अनुसंधान एवं जॉच प्रतिवेदन को देखने के उपरांत साधारण प्रकृति का पाया।

<u>11. अभियोजन पक्ष की आरे से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यः–</u>

क0 सं0	प्रदर्श	विवरण
01.	प्रदर्श–पी0–01 / पी0डब्लयू0–03	लिखित आवेदन पर सूचक साक्षी का हस्ताक्षर
01.	प्रदर्श–पी0–01 / पी0डब्लयू0–01	लिखित आवेदन पर सूचक साक्षी बालमिकी का हस्ताक्षर
02.	प्रदर्श–पी0–02 / पी0डब्लयू0–03	मुकेश सिंह का इंजुरी रिपोर्ट
03.	प्रदर्श–पी0–03 / पी0डब्लयू0–03	मुकेश सिंह का पुरक इंजुरी रिपोर्ट
04.	प्रदर्श–पी0–04 / पी0डब्लयू0–03	विटेश्वर कुमार का इंजुरी रिपोर्ट

05.	प्रदर्श–पी0–05 / पी0डब्लयू0–03	विटेश्वर कुमार का पुरक इंजुरी रिपोर्ट
06.	प्रदर्श–पी0–06	आरोप–पत्र
07.	प्रदर्श–पी0–07	औपचारिक प्राथमिकी

प्रस्तुत वाद के आदेश–फलक दिनांक 28.04.2026 के अनुसार अभियोजन साक्ष्य बंद किया जाता है।

<u>सफाई साक्ष्यः–(ए0)</u>

12. प्रस्तुत कांड के अभियुक्त **1. ओम प्रकाश महतो, 2. विशाल कुमार, 3. अनुराग कुमार उर्फ रविश, 4. संजो देवी, 5. सोनी कुमारी और 6. करिशमा कुमारी दिनांक–28.04.2026 को** द0प्र0स0 की धारा–313 के अंतर्गत अपने बयान में घटना कारित किये जाने से इंकार किया है और स्वयं को निर्दोष बताया है। हालॉकि, उन्होंने अपने मुकदमा के समर्थन में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया है।

<u>विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियॉः–</u>

13. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा **छः साक्षियों** को परीक्षित कराया गया है और **सात प्रदर्श** को चिन्हित कराया गया है।

<u>बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियॉः–</u>

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रस्तुत कांड के अभियुक्तगण के विरूद्व कोई मामला नहीं बनता है। **अभियोजन साक्षी संख्या–01,** बालमिकी महतो, जो प्रस्तुत कांड के साक्षी हैं ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 2022 की है। उस समय शाम के सात बजे का समय था। घटना के समय मेरा भाई खेत देखने के लिये जा रहा था। रास्ते में मेरे भाई को विशाल और ओमप्रकाश महतो मिला, संजो देवी, सोनी उर्फ रशमी, करिशमा कुमारी ने रोका और बाता–बाती हो गई और कुछ नहीं हुआ।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ओमप्रकाश महतो ने भी मेरे खिलाफ केस किया है उसमें भी उभयपक्षों ने सुलह कर लिया है। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत मुकदमा में भी सुलह–नामा दाखिल किया गया है इस पर मेरा, मुकेश और वटेश्वर का हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूँ साक्षी की पहचान पर संपुर्ण सुलहनामा को **प्रदर्श–ए0** अंकित किया जाता है। **अभियोजन साक्षी संख्या–02, मीरा देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–04, विपिन कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–05, प्रहलाद सिंह और अभियोजन साक्षी संख्या–06, मुकेश सिंह को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।** 10. **अभियोजन साक्षी**

संख्या–03, डा0 मोहम्मद फैज उद्‌दीन जो प्रस्तुत कांड के चिकित्सक साक्षी हैं ना कि ''चक्षुदर्शी'' साक्षी।

उसके बाद बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने प्रस्तुत कांड का समर्थन नहीं किया है। तद्‌नुसार प्रस्तुत कांड के आरोपी व्यक्ति मुक्त होने के पात्र हैं।

न्यायालय निष्कर्षः–

15. प्रस्तुत कांड अभियुक्तगण **1. ओम प्रकाश महतो, 2. विशाल कुमार, 3. अनुराग कुमार उर्फ रविश, 4. संजो देवी, 5. सोनी कुमारी और 6. करिशमा कुमारी के विरूद्ध अधिरोपित सारभूत आरोपों अंतर्गत–** 307/149, 323/149, 341/149, 147/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0 के तहत आरोप है। अभियोजन पक्ष ने कुल छः साक्षियों को परीक्षित करवाया है। **अभियोजन साक्षी संख्या–01,** बालमिकी महतो, जो प्रस्तुत कांड के साक्षी हैं ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 2022 की है। उस समय शाम के सात बजे का समय था। घटना के समय मेरा भाई खेत देखने के लिये जा रहा था। रास्ते में मेरे भाई को विशाल और ओमप्रकाश महतो मिला, संजो देवी, सोनी उर्फ रशमी, करिशमा कुमारी ने रोका और बाता–बाती हो गई और कुछ नहीं हुआ।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ओमप्रकाश महतो ने भी मेरे खिलाफ केस किया है उसमें भी उभयपक्षों ने सुलह कर लिया है। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत मुकदमा में भी सुलह–नामा दाखिल किया गया है इस पर मेरा, मुकेश और वटेश्वर का हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूँ साक्षी की पहचान पर संपुर्ण सुलहनामा को **प्रदर्श–ए0** अंकित किया जाता है। **अभियोजन साक्षी संख्या–02, मीरा देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–04, विपिन कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–05, प्रहलाद सिंह और अभियोजन साक्षी संख्या–06, मुकेश सिंह को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।** 10. **अभियोजन साक्षी संख्या–03, डा0 मोहम्मद फैज उद्‌दीन** जो प्रस्तुत कांड के चिकित्सक साक्षी हैं ना कि ''चक्षुदर्शी'' साक्षी।

उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुये, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः यह न्यायालय, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण **1. ओम प्रकाश महतो, 2. विशाल कुमार, 3. अनुराग कुमार उर्फ रविश, 4. संजो देवी, 5.**

न्यायालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि—28.04.2026
सत्र—वाद संख्या—358 / 2024
सी0आई0एस0 संख्या—358 / 2024
(धरहरा थाना कांड संख्या—214 / 2022)

सोनी कुमारी और 6. करिशमा कुमारी के विरूद्व धारा— 307 / 149, 323 / 149, 341 / 149, 147 / 149, 504 / 149, 506 / 149 अ**धिरोपित सारभूत आरोपों** से मुक्त करने का आदेश देती है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्तगण विचारण के दौरान जमानत प्राप्त किये हुए है।

अतः अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से पुर्णतया स्वतंत्र करने का आदेश देती है।

(लेखापित एवं शुद्विकृत)

(आलोक गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।
28.04.2026

(आलोक गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।
28.04.2026